

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जशपुर (छत्तीसगढ़)

—: विज्ञापन :-

क्रमांक /474 /स्था./सामा.निर्वा./2023

जशपुर, दिनांक 01/09/2023

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक 27 /स्था./2023/2025 रायपुर दिनांक 12 जून 2023 एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के कम्प्युटर क्रमांक F-2022-21-0029/ब-3/चार दिनांक 01.06.2023 अनुसार अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप, **जिला निर्वाचन कार्यालय (सामान्य निर्वाचन शाखा) जशपुर** में सहायक ग्रेड-03 (नियमित) एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (नियमित) के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किये जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक **13.09.2023** तक आमंत्रित किया जाता है।

**आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि :-** ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु जिला जशपुर के वेबसाईट <https://jashpur.nic.in/> में मेनू नोटिस (Notice) के सबमेनू भर्ती (Recruitment) में लिंक दिनांक **13.09.2023** तक उपलब्ध रहेगी।

**रिक्त पदों का विवरण :-**

क्रमांक	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.व.			अनारक्षित			विशेष पिछड़ी जनजाति	दिव्यांग हेतु आरक्षित
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक		
1	सहायक ग्रेड-03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

**पदों का वेतनमान :-**

**सहायक ग्रेड-03**

(वेतनमान रू. 5200-20200+1900 ग्रेड-पे, वेतन मैट्रिक्स लेवल-04)

**डाटा एन्ट्री ऑपरेटर**

(वेतनमान रू. 5200-20200+2400 ग्रेड पे, वेतन मैट्रिक्स लेवल-06)

## शैक्षणिक योग्यता/अर्हताएं :-

### (अ) सहायक ग्रेड-03 पद हेतु योग्यता :-

01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

#### अथवा

पुरानी हायर सकेण्डरी परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

02. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा,

03. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

### (ब) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतु योग्यता :-

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

#### अथवा

पुरानी हायर सकेण्डरी परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की प्रति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

### नियम व शर्तें:-

#### (एक) आयु-

(क) अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी।

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक है 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हों, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, और परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जो किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहे हैं, उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(तीन) किसी भी मामले में, उपरोक्तानुसार उल्लेखित वर्गों में से किसी भी एक एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 अटल नगर रायपुर दिनांक 30.01.2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने के संबंध में जारी निर्देश के बिन्दु क्रमांक 02 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर के परिपत्र क्रमांक 375/260/वि/नि./चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.08.2020 द्वारा जारी निर्देशानुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्ति पश्चात् पुलिस विभाग से अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन कराया जाएगा, प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से तत्काल पृथक किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- मेरिट सूची, दावा-आपत्ति, अन्य आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन तथा चयन परीक्षा के संबंध में जानकारी जिले के वेबसाइट में प्रदर्शित किया जायेगा, इसके लिये पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- समस्त आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि में जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन एवं त्रुटिपूर्ण अंको की प्रविष्टि मान्य/स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदन के निरस्तीकरण के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अतः आवेदन भरने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन के सभी कॉलम भरे हों।

विज्ञापन छ.ग. लोक सेवा तथा पदों पर आरक्षण नियम 8 के तहत एकांकी पदों पर रोस्टर लागू न होना – “राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के एकांकी पदों पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा। एकांकी पद वह होगा जो किसी संवर्ग विशेष में केवल एक ही पद स्वीकृत है।” अतः विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है।

विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. अभ्यर्थी द्वारा जिले की वेबसाईट <https://jashpur.nic.in> में ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक **13.09.2023** तक फॉर्म भरा जाएगा। कार्यालय में सीधे अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की मूलप्रति अपलोड करना होगा।
3. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रति अपलोड करना होगा।
4. अभ्यर्थी को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा वर्तमान नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
5. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान में पासपोर्ट साईज फोटो, हस्ताक्षर व अन्य दस्तावेज अपलोड करना होगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 01.09.2023 से 13.09.2023 तक ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा।
7. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् त्रुटि सुधार हेतु 03 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा। इस अवधि में नये आवेदन का पंजीयन नहीं होगा। सफलतापूर्वक भरे गये आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास रखना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. विज्ञापन में तथ्यात्मक त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, ऐसे त्रुटि में चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
9. मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त होने पर जन्मतिथि को आधार मानकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता में प्राथमिकता दिया जाएगा। समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में अभ्यर्थी के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के (Alphabet) आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन दस्तावेज का मूल दस्तावेज से मिलान किया जाएगा, यदि कोई जानकारी अथवा दस्तावेज गलत/असत्य पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। जांच के दौरान दस्तावेज में यदि कोई छेड़-छाड़ अथवा फर्जी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

11. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का 60 प्रतिशत अंक एवं निर्वाचन संबंधी कार्य का अनुभव हेतु प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 03 अंक (अधिकतम 15 अंक) एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकों को मिलाकर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा)
12. कौशल परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा में मेरिट सूची से प्रावीण्यता क्रम के आधार पर 01 पद के विरुद्ध 50 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।
13. अभ्यर्थी के द्वारा मोबाईल के माध्यम से आवेदन किये जाने पर त्रुटि होने की संभावना हो सकती है। अभ्यर्थी कम्प्यूटर सिस्टम/लेपटॉप अथवा किसी भी ऑनलाईन/डिजिटल सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। त्रुटिपूर्ण भरे गए आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं एवं निरस्तीकरण के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
14. विवाद की स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-जशपुर छ.ग. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

७

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-जशपुर (छ.ग.)

पृ क्रमांक / 474-N/स्था./सामा.निर्वा./2023

जशपुर, दिनांक 01/09/2023

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं जिला निर्वाचन कार्यालय अंतर्गत सहायक ग्रेड-3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में इसका संक्षिप्त प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जशपुर की ओर सूचनार्थ। जिले के वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।
4. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।
5. जिला रोजगार अधिकारी, जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।

७

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-जशपुर (छ.ग.)